निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा

दूरभाष:– 05966–220260 / ☎ 0135–2759799

ई–मेल: dirudyanhorti@gmail.com / missionhortiuk@gmail.com

पत्रांक 1447/सब्जी बीज पंजी0 / 2022–23 दिनांक:देहरादून:जुलाई 28 2022

रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) हेतु सूचना

विभाग में संचालित विभिन्न केन्द्रपोषित, राज्य सैक्टर व जिला योजनान्तर्गत कास्तकारों को उच्चगुणवत्तायुक्त खुला परागण / हाईब्रीड (Open Pollinated/Hybrid) सब्जी बीजों (मटर, फासबीन, मूली, लाही, पालक, भिन्डी, मेथी आदि) से लाभान्वित किया जाता है, जिस हेतु बीज उत्पादक फर्मो / कम्पनियों / संस्थाओं के प्रजातिवार सब्जी बीजों की दरों के पंजीकरण हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) के माध्यम से आवेदन आमन्त्रित किये जाते है, जिन हाईब्रीड बीजों के उत्पादक फर्मो / कम्पनियों / संस्थाओं के बीजों का पंजीकरण निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है वे फर्म / कम्पनी / संस्थान भी आवेदन कर सकते है। निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड़ के पत्रांक 879 / HMNEH / हाईब्रीड सब्जी बीज / 2022–23, दिनांक 20.06.2022 से पंजीकृत फर्म / कम्पनी यथावत रहेगें।

रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) का आवेदन मुहर बन्द लिफाफे में दिनांक 20.08.2022 को अपराहन 05.00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड़, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में जमा किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों को दिनांक 22.08.2022 को प्रातः 11.00 बजे खोला जायेगा तथा उसी दिन फर्मो / कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ दरों के मोल–भाव (Negotiation) हेतु समिति द्वारा वार्ता की जायेगी। रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) की शर्तें वेबसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

निदेशक,
उद्यान

Scanned with CamScanner

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा
दूरभाषः– 05966–220260 / ☎ 0135–2759799
ई–मेलः dirudyanhorti@gmail.com / missionhortiuk@gmail.com

खुला परागण / हाईब्रीड (Oppen Pollinated/Hybrid) सब्जी वीजों के मूल उत्पादक फर्मो / कम्पनियों पंजीकरण (Empanelment) हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) की शर्ते

विभाग में संचालित विभिन्न केन्द्रपोषित योजनाओं, राज्य सैक्टर, जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में उन्नत खुला परागण / हाईब्रीड (Oppen Pollinated/Hybrid) सब्जी बीजों से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु मूल उत्पादक फर्मो / कम्पनियों की दरो एवं विशिष्टियो के पंजीकरण के लिए निम्नानुसार शर्ते निर्धारित की जाती हैः–

1. निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड़ के पत्रांक 879 / HMNEH / हाईब्रीड सब्जी वीज / 2022–23, दिनांक 20.06.2022 से पंजीकृत फर्म / कम्पनी यथावत रहेगें।
2. पंजीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर करना होगा। **आवेदन के प्रारूप प्रपत्र–1 तकनीकी प्रपत्र** के साथ आवेदन शुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट रू0 2,360.00 (18 % GST सहित) जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा के नाम रानीखेत में देय हो, संलग्न करना होगा।
3. **वित्तीय प्रपत्र–2** अलग लिफाफे में मुहर बन्द हो, जिसे आवेदन के साथ जमा करना होगा।
4. पंजीकरण हेतु आवेदन का प्रारूप व निर्धारित शर्तें फर्मो / कम्पनियों के द्वारा विभागीय वेबसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।
5. आवेदन पत्र मात्र मूल उत्पादक फर्मो (Original Producer) एवं उनके द्वारा आवेदन हेतु अधिकृत वितरक से ही स्वीकार किये जायेंगे।
6. आवेदन प्रपत्र बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा, जिसके ऊपर खुला परागण / हाईब्रीड (Oppen Pollinated/Hybrid) सब्जी बीजों हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन अंकित हो, दिनांक 20.08.2022 को सांय 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाऊस, देहरादून मे जमा करना होगा।
7. विभाग द्वारा गठित समिति के सम्मुख दिनांक 22.08.2022 को प्रातः 11:00 बजे पंजीकरण हेतु प्राप्त लिफाफों को खोला जायेगा।
8. वित्तीय प्रपत्र में ओपन पॉलीनेटेड / हाईब्रीड बीजों की दी गई दरों के मोल–भाव (Negotiation) हेतु दिनांक 22.08.2022 को फर्म / कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ विभागीय गठित कमेटी द्वारा वार्ता कर दरों का निर्धारण किया जायेगा तथा दरों की सहमति हेतु फर्म / कम्पनियों से लिखित में सहमति प्राप्त की जायेगी।
9. संकर (Hybrid) बीज का पंजीकरण दिनांक 31.03.2023 तक वैध होगा। परन्तु फर्म / कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये, अनिवार्य अभिलेखो की वैधता तिथि समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित नवीनीकृत अभिलेख समय पर विभाग को प्रस्तुत किये जाने होगे। नवीनीकृत अभिलेख उपलब्ध न कराने की दशा में पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा या निरस्त समझा जायेगा।
10. पंजीकरण की जाने वाली मूल फर्म / कम्पनी को खुला परागण / हाईब्रीड (Oppen Pollinated/Hybrid) सब्जी वीजों की आपूर्ति हेतु भारत सरकार के शीड एक्ट में निर्धारित शर्तों एवं नियमों का पालन करना होगा।

Scanned with CamScanner

11. मूलफर्म/कम्पनी को अपना लोगो (Logo), बैच नम्बर, ब्राण्ड का नाम, प्रजाति का नाम, उत्पादन एवं पैकिगं की तिथि, वैधता तिथि, बीजों की संख्या एवं जमाव प्रतिशत इत्यादि का विवरण आपूर्ति के समय पैकिगं पर अंकित करना अनिवार्य है।

12. किसी भी फर्म/कम्पनी द्वारा खुला परागण/हाईब्रीड (Oppen Pollinated/Hybrid) सब्जी बीजों के उत्पादन एवं आपूर्ति की न्यूनतम 3 वर्षो की सक्षम स्तर से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

13. वर्ष 2020–21 का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रू0 5 करोड़ होने का सी0ए0 द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।

14. फर्म/कम्पनी का कार्यालय या अधिकृत विक्रेता का कार्यालय/भण्डार अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड मे होना चाहिए।

15. पंजीकरण हेतु वित्तीय प्रपत्र में अकिंत प्रत्येक खुला परागण Oppen Pollinated के सब्जी बीजों के प्रत्येक प्रजाति के 100 ग्राम व हाईब्रीड बीजों के प्रत्येक प्रजाति के 10 ग्राम के शील्ड पैकेट नमूने के तौर पर कार्यालय– निदेशक, बागवानी मिशन, देहरादून में जमा करना होगा।

16. संकर (Hybrid) बीजो की भौतिक शुद्धता (physical purety) के प्रमाण पत्र देना होगा (98% physical purety से कम न हो)।

17. आनुवांशिक शुद्धता (Genitic purety) का प्रमाण प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा (98% Genitic purety से कम न हो)।

18. खुला परागण/हाईब्रीड (Oppen Pollinated/Hybrid) सब्जी बीजों का नमी का प्रतिशत 10–11% होने का प्रमाण संलग्न करना होगा। (पैकिंग पैकेट पर अंकित करना होगा)

19. सब्जी बीजों का आकार, संख्या मानक के अनुरूप जमाव प्रतिशत 70% प्रतिशत से कम न होने का प्रमाण पत्र में संलग्न करना होगा। सब्जी बीजों के पैकिंग पैकेट पर उद्यान विभाग एवं बीज के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक विवरण अंकित करना होगा।

20. हाईब्रीड सब्जी बीजों से उत्पादित सब्जी फसलों का उत्पादन समान्य बीजों से 30% अधिक होना चाहिए।

21. सब्जी बीजों से उत्पादित फलों की साइनिगं, फल की कीपिगं क्वालिटी एवं परिपक्वता का समय भी अंकित हो एवं आकार, वजन से सम्बन्धित विवरण के कैटलॉग (Catalogue)/साहित्य जनपद मुख्यालय के कार्यालय अध्यक्षों को उपलब्ध कराना होगा।

22. फर्म/कम्पनी के विरूद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति से सम्बन्धित कोई विवाद/विधिक, अपराधिक कार्यवाही अथवा ब्लैकलिस्ट किया गया हो जैसी भी स्थिति हो सूचित करते हुए शपथ पत्र रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर मूल रूप मे जमा करना होगा (विवादित न होने का शपथ पत्र)।

23. फर्म/कम्पनी को रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक अवगत कराना होगा कि पंजीकरण हेतु संकर (Hybrid) बीज की दी जा रही दरें न्यूनतम है। दी गई दरों से कम दर पर फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग/संस्था को संकर (Hybrid) की आपूर्ति नहीं की जा रही है और न ही कम दरों पर पंजीकरण की वैधता तिथि तक आपूर्ति की जायेगी। यदि अधिक दरों पर विभाग को आपूर्ति किये जाने की शिकायत साक्ष्य सहित प्राप्त होने पर फर्म/कम्पनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/कम्पनी की होगी।

24. सब्जी वीजों की पैकिगं पर समाप्ति (Expiry) तिथि अंकित किया जाना होगा। बीज सप्लाई पर 9 माह से कम का सप्लाई मान्य नही होगा (टेस्ट रिर्पोट के उपरान्त)।

25. विभागीय कमेटी की संस्तुति के उपरान्त विभाग द्वारा जारी पंजीकरण हेतु EoI के समय में बिना कारण वताए परिवर्तन/संशोधन (आंशिक या पूर्ण) अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, उद्यान का होगा। किसी विवाद की स्थिति मे निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड़ का निर्णय अन्तिम होगा तथा वाद का क्षेत्र देहरादून न्यायालय होगा।

–2–

Scanned with CamScanner

26. पंजीकरण की व्यवस्था को बिना कारण बताये किसी भी समय नवीनीकरण अथवा निरस्त करने की कार्यवाही का अधिकार निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड़ को होगा।

27. पंजीकरण हेतु बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद रू0 5.00 लाख, वैधता तिथि 31.03.2023 जो निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड़ के नाम बन्धक हो, आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

28. फर्म/कम्पनी को उत्तराखण्ड में नियुक्त अधिकृत विक्रेता का GSTIN No. का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

29. सब्जी बीजों पर देय राजसहायता की मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कृषक अपनी आवश्यकतानुसार विभाग में पंजीकृत किसी भी फर्म/कम्पनी से सब्जी बीजों को क्रय करने हेतु स्वतन्त्र होगा। कृषकों की लिखित अनुरोध पर मुख्य/जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा भी सब्जी बीजों कय कर कास्तकारों को वितरित किया जा सकता है।

30. उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में एक समान दरों पर सब्जी बीजों की आपूर्ति (मूल दर + GST) F.O.R. (डेस्टीनेशन) सहित देनी होगी, जिसके सम्बन्ध में फर्म/कम्पनी के पैड पर लिखित सहमति देनी होगी।

31. आवेदनकर्ता फर्म/कम्पनी द्वारा समस्त अभिलेख स्वप्रमाणित प्रस्तुत करने होगें तथा पंजीकरण हेतु निधारित शर्तो पर सहमति हेतु फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।

32. भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटीज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोत्तरी/परिवर्तन किया जाता है तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड़ को तत्काल उपलब्ध करायेगें।

33. पंजीकरण उपरान्त कम्पनी को बीज बुवाई/रोपण का तकनीकी प्रशिक्षण व उपयोगी साहित्य चयनित कास्तकारों व विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को नि;शुल्क उपलब्ध कराना होगा।

34. पंजीकरण की अवधि के दौरान यदि फर्म/कम्पनियो द्वारा विक्रय किए गए उन्नत सब्जी बीज रोपण सामग्री की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी तथा बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद की धनराशि भी जब्त की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म को होगी।

35. यदि प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई फर्म/कम्पनी अनुचित कार्यों में लिप्त है तो उस फर्म/कम्पनी का पंजीकरण निरस्त कर विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

36. आवेदनकर्ता फर्म/कम्पनी को अपनी प्रोफाईल उपलब्ध करानी होगी।

37. देश से बाहर की कम्पनी होने पर भारत सरकार द्वारा देश में सब्जी बीज आपूर्ति किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

38. फर्म द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान सब्जी बीज से लाभान्वित किये गये किसानों में से में कम से कम 10 किसानों के नाम, पता व मोबाईल नम्बर आदि सहित सूची संलग्न करनी होगी।

(डॉ0 हरमिन्दर सिंह बवेजा)
निदेशक, उद्यान

Scanned with CamScanner

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा
दूरभाषः– 05966–220260 / ☎0135–2759799
ई–मेलः dirudyanhorti@gmail.com / missionhortiuk@gmail.com

खुला परागण/हाईब्रीड (Oppen Pollinated/Hybrid) सब्जी बीजो की आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक फर्मो/कम्पनियों/संस्थाओं के पंजीकरण (Empanelment) हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) हेतु आवश्यक अभिलेख

तकनीकी प्रपत्र–1

क्र स	विवरण	आवश्यक अभिलेख का पृष्ठ सख्या
1	फर्म/कम्पनी को अपनी विस्तृत प्रोफाईल संलग्न करनी होगी, जिसमें उत्पादक फर्म/कम्पनी का नाम, साझेदारों का नाम, पता, ईमेल आई0डी0 आदि का विस्तृत विवरण अंकित हो।	
2	रूचि की अभिव्यवित (EoI) हेतु प्रक्रिया शुल्क की धनराशि का विवरण – ड्राफ्ट सख्या............... दिनाक.................. धनराशि रू0 2360.00 (with GST) बैक ड्राफ्ट जारी करने वाले राष्ट्रीयकृत बैक का नाम–	
3	बैक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जो निदेशक, उद्यान के नाम बन्धक हो, का विवरण– बैक गारन्टी/सावधी जमा रसीद की सख्या......................................., जारीकर्ता बैंक/ब्रान्च का नाम... वैधता तिथि.............................. धनराशि रू0 5.00 लाख	
4	फर्म/कम्पनी का पैन कार्ड नम्बर–.. (कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)	
5	फर्म/कम्पनी का जी.एस.टी. नम्बर–... (छायाप्रति संलग्न करें)	
6	फर्म/कम्पनी का बीज विक्रय का लाईसेन्स संख्या...जारी करने की तिथि...................जारीकर्ता का नाम व पता...............वैधता तिथि.................................(छायाप्रति संलग्न)	
7	फर्म एवं कम्पनी के उत्तराखण्ड मे नियुक्त अधिकृत विक्रेता GSTIN No- ....का (GSTIN का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करे)।	
8	फर्म/कम्पनी के उत्तराखण्ड में नियुक्त अधिकृत विक्रेता के बीज बिक्री का लाईसेन्स संख्या....................................... जारी करने की तिथि..................जारीकर्ता का नाम व पता...............वैधता तिथि.................................(छायाप्रति संलग्न)	
9	सम्बन्धित O.P. /हाईब्रीड सब्जी बीज के अधिकृत अभिजनक (ब्रीडर/अनुसंधान संस्थान के अभिजनक का विवरण)	
10	98% Physical purety का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।	
11	98% Genetic purety का प्रमाण पत्र सलग्न करना होगा।	
12	Seed Moisture Percentage 10 -11 % का प्रमाण पत्र सलग्न करना होगा।	
13	Seed Germination not less then 70% का प्रमाण पत्र सलग्न करना होगा।	
14	उत्पादकता प्रजातिवार हाईब्रीड प्रजाति की उत्पादकता से कम से कम 30% अधिक होने का प्रमाण पत्र	
15	फसल उत्पादन के समय फल/फलियों– साइनिगं, आकार, फल कीपिगं क्वालिटी एवं परिपक्वता गुणों का प्रमाण पत्र।	
16	वर्ष 2020–21 का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रू0 5 करोड होने का सी0ए0 द्वारा जारी प्रमाण पत्र	
17	फर्म/कम्पनी/सस्था के द्वारा न्यूनतम 3 वर्षो की आपूर्ति का सक्षम स्तर से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।	
18	उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों मे एक समान दरो पर बीजों की आपूर्ति (मूल दर + GST) F.O.R. (डेस्टीनेशन) सहित देनी होगी, जिसके सम्बन्ध मे फर्म/कम्पनी के पैड पर लिखित सहमति देनी होगी।	
19	फर्म के विरूद्व किसी प्रदेश मे आपूर्ति से सम्बन्धित कोई विवाद/विधिक कार्यवाही अपराधिक कार्यवाही अथवा फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया जैसी भी स्थिति हो, के सम्बन्ध मे सूचित करते हुए शपथ पत्र रू0 100 के नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प पेपर पर मूल रूप मे जमा करना होगा।	
20	फर्म/कम्पनी को रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक अवगत कराना होगा कि पंजीकरण हेतु बीजो की दी जा रही दरे न्यूनतम हैं, दी दरों से कम पर फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग/संस्था को आपूर्ति नहीं की जा रही है और न ही कम दरो पर पजीकरण की वैधता तिथि तक आपूर्ति की जायेगी।	
21	फर्म/कम्पनी देश के बाहर की होने पर Authorized Dealership जो मूल विनिर्माता द्वारा दिया गया हो, संलग्न करना होगा।	
22	लीगल क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य के अन्तगर्त देहरादून होगा (जिसके सम्बन्ध मे फर्म/कम्पनी के पैड पर लिखित सहमति देनी होगी)	
23	पंजीकरण उपरान्त कम्पनी को उन्नत पौध रोपण सामग्री के बुवाई/रोपण की तकनीकी प्रशिक्षण चयनित कास्तकारों व विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को नि,शुल्क प्रदान करना होगा (इस आशय का प्रमाण पत्र)	
24	पजीकरण की अवधि के दौरान यदि फर्म/कम्पनियो द्वारा विक्रय किए गए सब्जी बीजो की गुणवत्ता के सम्बन्ध मे शिकायत मिलने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी (सहमति सम्बन्धी प्रमाण पत्र)	
25	फर्म द्वारा पिछले दो वर्षो के दौरान सब्जी बीजो से लाभान्वित किये किसानो में से मे कम से कम 10 किसानो के नाम, पता व मोबाईल नम्बर आदि सहित सूची संलग्न करनी होगी।	
26	जिन बीजो का पजीकरण किये जाने हेतु आवेदन किया है। उनके द्वारा Oppen Pollinated सब्जी बीजो के प्रजातिवार 100 ग्राम की पैकिग का एक–एक नमूना यदि हाईब्रीड बीजो के पजीकरण हेतु भी आवेदन किया जा रहा है तो 10 ग्राम पैकिगं का एक–एक नमूना मुहरबन्द लिफाफे मे उपलब्ध कराना होगा।	

नोट – उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वय अथवा प्राधिकृतकर्ता द्वारा भरे जाने होगे तथा प्रमाणपत्र सलग्न करना होगा कि उपरोक्त सभी कॉलम मे दी गयी सूचनाए सत्य एव प्रमाणित है रूची की अभिव्यवित (EoI) के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जाये। आवेदनकर्ता फर्म/कम्पनी द्वारा समस्त अभिलेख स्वय प्रमाणित कर सलग्न करने होगे तथा पंजीकरण हेतु निधारित शर्तो पर सहमति हेतु फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है। आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखो मे पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये तकनीकी प्रपत्र मे भी अभिलेख का पृष्ठ संख्या लिखना आवश्यक है।
शपथ पत्र– मेरे द्वारा उपरोक्त रूची की अभिव्यवित (EoI) की समस्त शर्तो एव प्रतिबन्धो का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तो पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।

आवेदक/प्राधिकर्ता के हस्ताक्षर
आवेदक/प्राधिकर्ता का नाम–
फर्म का नाम/पता/ सील
मो0नम्बर/ईमेल–

Scanned with CamScanner

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा
दूरभाषः– 05966–220260 / ☎ 0135–2759799
ई–मेलः dirudyanhorti@gmail.com / missionhortiuk@gmail.com

उच्चगुणवत्तायुक्त सब्जी बीजों की आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक फर्मो/कम्पनियों/संस्थाओं के पंजीकरण (Empanelment) हेतु अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI)

वित्तीय प्रपत्र – 2

अ)– सामान्य सब्जी बीज (Oppen Pollinated Seed)

क्र0 सं0	सब्जी फसल का नाम	प्रजाति	बीज की पैकिगं	मूल दर (रू0 में)	GSTIN (रू0 में)	मूल दर + GSTIN F.O.R. डेस्टीनेशन सहित (रू0 में)
1.	मटर	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
2.	फासबीन	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
3.	मूली	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
4.	भिन्डी	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
5.	पालक देसी	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
6.	पालक पहाड़ी	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
7.	मेथी	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
8.	राई (लाही)	1				
		2				

Scanned with CamScanner

		3				
		4				
9.	बाकुला	1				
		2				
		3				
		4				
10.	गाजर	1				
		2				
		3				
		4				
11.	शलजम	1				
		2				
		3				
		4				
12	धनियां	1				
		2				
		3				
		4				
13	प्याज	1				
		2				
		3				
		4				
14	लौकी	1				
		2				
		3				
		4				
15	कद्दू	1				
		2				
		3				
		4				
16	करेला	1				
		2				
		3				
		4				
17	खीरा	1				
		2				
		3				
		4				
18	तुरई	1				
		2				
		3				
		4				
19		1				
		2				
		3				
		4				
20		1				
		2				
		3				
		4				

Scanned with CamScanner

ब)– हाईब्रीड सब्जी बीज (**Hybrid Seed**)

क्र0 सं0	सब्जी फसल का नाम	प्रजाति	बीज की पैकिगं	मूल दर (रू0 में)	GSTIN (रू0 में)	मूल दर + GSTIN F.O.R. डेस्टीनेशन सहित (रू0 में)
1.	बन्दगोभी	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
2.	फूलगोभी	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
3.	ब्रोकली	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
4.	बैंगन	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
5.	टमाटर	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
6.		1.				
		2.				
		3.				
		4.				
7.		1.				
		2.				
		3.				
		4.				
8.		1				
		2				
		3				
		4				
9.		1				
		2				
		3				
		4				
10.		1				
		2				

Scanned with CamScanner

		3				
		4				
11.		1				
		2				
		3				
		4				
12		1				
		2				
		3				
		4				
13		1				
		2				
		3				
		4				
14		1				
		2				
		3				
		4				
15		1				
		2				
		3				
		4				
16		1				
		2				
		3				
		4				
17		1				
		2				
		3				
		4				
18		1				
		2				
		3				
		4				
19		1				
		2				
		3				
		4				
20		1				
		2				
		3				
		4				

Scanned with CamScanner

नोट– 1. जिन फर्मों/कम्पनियों के हाईब्रीड बीजों का पंजीकरण कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड़, देहरादून के अन्तर्गत नहीं है वे फर्म/कम्पनियों भी अपने हाईब्रीड बीजों की दरों एव विशिष्टियों के पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकती है।

2. वित्तीय प्रपत्र में सब्जी बीजों एवं उनके प्रजातियों की दरों के अंकन हेतु स्थान नहीं होने पर उक्त प्रारूप फर्म/कम्पनी के राईटिगं पैड पर तैयार कर अंकन किया जा सकता है।

3. उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकृतकर्ता द्वारा भरे जाने होंगे तथा प्रमाण पत्र दिया जाना होगा कि उपरोक्त सभी कालम में दी गयी सूचनाऐं सत्य एवं प्रमाणित हैं। पंजीकरण के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जायें।

प्रमाण–पत्र

मेरे द्वारा उपरोक्त पंजीकरण की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तो पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।

आवेदक/प्राधिकर्ता के हस्ताक्षर

आवेदक/प्राधिकर्ता का नाम–

फर्म का नाम/पता/ सील

फोन नम्बर–

फैक्स नम्बर–सील

Scanned with CamScanner